Lease of Doordarshan Channels to Private Parties

2326. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Doordarshan has decided to start a third national channel and also a number of other satellite channels for its use as well as for lease to private parties; and

(b) if so, what is the progress in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATON AND BROADCASTING (SHRI K.P. SINGH DEO) (a): No. Sir.

(b) Does not arise.

देश में दूरदर्शन केन्द्र

2327. **श्री जगन्नाथ सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) इस समय देश में कितने दूरदर्शन केन्द्र संचालित हैं; और

(ख) दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) वर्तमान में देश में भिन्न-भिन्न शक्तियों के 698 टी.वी. ट्रांसमीटिंग केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) टी.वी. ट्रांसमीटिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए मोटे तौर पर जो मानदण्ड हैं उनमें कवर न किए गए क्षेत्रों की कवरेज परिणामी का विस्तार, राज्यों की राजधानियों, पहाड़ी, पिछड़े जनजातीय, सुदूरवर्ती, अति संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की कवरेज व्यवस्था एवं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और अपेक्षित आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं। विशेष रूप से विशिष्ट जन संख्या समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों की स्थापना करने से संबंधित मौटे तौर पर जो मानदंड हैं उनमें राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की राजधानियों के स्थान, सांस्कृतिक महत्व के स्थान और चुने हुए रिले केन्द्र शामिल हैं।

National Film Award Rules

2328. SHRI HIPHEI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have amended National Film Award Rules in the recent past;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether these amended rules have also incorporated some other changes like cash component;

(d) if so, the details thereof with background for such changes;

(e) whether these changes also limitise the Awards for feature and non-feature films of various categories; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATON AND BROADCASTING (SHRI K.P. SINGH DEO) (a): Yes, Sir.

(b), (c) and (d) A statement is attached. (*See* below).

(e) No, Sir.

(f) The changes made in the rules mostly pertain to procedural matters except the two cases where there has been a nominal increase in the cash award.

Statement

The following are the details of important changes made in the rules relating to the National Film Awards:—

(1) The cash prize of best child artiste has been enhanced from Rs. 5,000/- to Rs. 10,000-so as to bring it at par with the casha ward of the best actor and best actress.

(2) In order to give encouragement to the producer whose film has been adjudged as the best non-feature film, the cash prize of Rs. 15,000 to such a producer has been enhanced to Rs. 20,000.

(3) The earlier rules provided that filmmakers submitting an entry for the awards were not eligible for nomination as a jury member. To enable technical persons like cameraman associated with an entry also being precluded from being nominated to the jury, the following provision has now been made:—

"Any person directly or indirectly associated with the films entered for competition in feature or non-feature category, shall not be eligible to serve on any of the jury panels."

(4) The rules provided that films produced in India and certified by the Central Board for Film Certification between 1st January and 31st December are eligible to be considered. To fecilitate entry of films produced in the calendar year should there be a delay on the part of the Central Board of Film Certification to issue certificate just because of holiday on 31st December, the following provision has been added:—

"In case 31st December is holiday, the next official working day shall be considered as the last date."

(5) The last date for receipt of entries has been changed from 28th February to 31st March as it is found necessary to give adequate time to the film producers to submit their entries.

आकाशवाणी द्वारा विदेशी भाषाओं में प्रसारण

2329. **श्री गोविन्दराव आदिक:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी द्वारा कई विदेशी भाषाओं में भी प्रसारण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हीं भाषाओं में दूरदर्शन के उपग्रह चैनल पर भी कार्यक्रम प्रसारित करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) जी हां। आकाशवाणी अपनी विदेश सेवा में रोजाना 16 विदेशी भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है।

(ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय दूरदर्शन के पास पूर्ण-सुसज्जित विदेश सेवा नहीं है।

प्रसारण क्षमता में वृद्धि किया जाना

2330. **श्री गोविन्दराव आदिक:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई दूरदर्शन केन्द्रों के आस-पास रहने वाली जनता उन केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने की मांग करती आयी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से केन्द्र हैं जिनकी क्षमता बढ़ाने की मांग की गयी है; और

(ग) ऐसे केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) से (ग): देश में मौजूदा टी.वी. ट्रांसमीटरों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर विभिन्न भागों से प्रत्यावेदन प्राप्त होते हैं। समग्र संसाधनों और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इस संबंध में सुनिर्धारित नीति के संदर्भ में सरकार का सतत प्रयास रहता है कि मौजूदा ट्रांसमीटरों की शक्ति में वृद्धि सहित देश में टी.वी. कवरेज का विस्तार किया जाए। उन स्थानों की राज्यवार सूची विवरण में दी गई है, (नीचे देखिये), जहां मौजूदा टी.वी. ट्रांसमीटरों की शक्ति में वृद्धि करने से संबंधित स्कीमें कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित हैं।

विवरण

उन स्थानों की सूची जहां देश में मौजूदा टी.वी. ट्रांसमीटरों की शक्ति को बढ़ाने से संबंधित स्कीमें कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित हैं

राज्य	स्थान
आन्ध्र प्रदेश	कुर्नूल
	नांदयाल
	राजामुन्द्री
	वारंगल
	हैदराबाद (डीडी-II)
	ओंगोली
	पडेरू
अरूणाचल प्रदेश	मियाओ
असम	तेजपुर
	जोरहाट
	बोंगईगांव/कोकराझार
बिहार	बेतिया
	जमशेदपुर
	देवगढ़
हरियाणा	हिसार
हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला
गुजरात	भुज
	सूरत
	बडोदरा
	जूनागढ़
	पालिताना
	देवगढ़-वारिया